झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या .1 / स्था0...(राज)..(अंके0).05 / 2009 सह 3591 राँची, दिनांक 24/10/14

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं –

अध्याय–1

प्रारंभिक ....

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ
   (i) यह नियमावली झारखण्ड 'सहकारिता' अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. परिभाषाऍं – इस नियमावली में जब–तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (i) **'संवर्ग'** से अभिप्रेत है, सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग के पद या बल।
   (ii) **'आयोग'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग।
   (iii) **'राज्यपाल'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड के राज्यपाल।
   (iv) **'सदस्य' या 'सेवा के सदस्य'** से अभिप्रेत है, सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति।
   (v) **'अनुसूची'** से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संबधित संलग्न अनुसूची– I, II, III, एवं IV,
   (vi) **'नियुक्ति'** प्राधिकार से अभिप्रेत है– निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, रॉंची।
3. **संवर्ग की संरचना** – यह संवर्ग निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, रॉंची के प्रशासी नियंत्रण में होगा। इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों के वर्त्तमान पदों का पूर्ण विवरण **अनुसूची–1** के अनुरुप होगा।

   राज्य सरकार समय–समय पर संवर्गीय बल का निर्धारण करेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग के स्थायी / अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी।
4. पद की स्थिति –
   (क) इस संवर्ग का मूल पद वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी होगा।
   (ख) अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, उपमुख्य अंकेक्षक, संयुक्त निबन्धक (अंकेक्षण) के पदों को अनुसूची–IV के अनुरुप प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय–2
भर्त्ती

5. **भर्त्ती का श्रोत**

(i) इस सेवा में भर्त्ती निम्न प्रकार से की जायेगी –

(क) इस नियमावली के अध्याय–3 के अनुसार सीधी भर्त्ती द्वारा,

(ख) इस नियमावली के अध्याय–4 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा,

परन्तु कोई भी व्यक्ति प्रोन्नति के लिए योग्य तभी होगा, जब उसने न्यूनतम योग्यता प्रदायी सेवा शर्त्तों को पूरा कर लिया हो तथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

6. **रिक्तियों में आरक्षण** – भर्त्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों/रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

7. **रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना** –

प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर को इस संवर्ग की सीधी भर्त्ती मूल पद से भरी जानेवाली पदों की रिक्तियों की संख्या निर्धारित की जायेगी एवं निर्धारित रिक्तियों के विरुद्व नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त् करने के लिए आयोग को प्रेषित किया जाएगा।

अध्याय–3
सीधी भर्त्ती

8. आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती –

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से किसी भी वर्ष में संवर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक भर्त्ती नहीं की जायेगी। परन्तु अगर सरकार चाहे तो पदों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि कर सकती है।

(ख) आयोग द्वारा विज्ञापन निकाल कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस संवर्ग की मूल कोटि में भर्त्ती हेतु सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम **अनुसूची–II** पर द्रष्टव्य है।

9. पात्रता –

(क) वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (गणित /अर्थशास्त्र/ वाणिज्य / सांख्यिकी विषय के साथ) डिग्री होगी एवं प्रतियोगिता परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रुप में वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा सांख्यिकी में से किसी एक विषय का चयन करना आवश्यक होगा।

(ख) न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्र के अनुसार की जायगी।

(ग) आरक्षण, उम्र सीमा एवं कालावधि के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम / परिपत्र /संकल्प यथावत् लागू होंगे।

10. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा –**

आयोग प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा। तैयार की गई ऐसी सूची में से आयोग उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ अधियाचित की गई हों।

किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियाँ अग्रनीत की जायेगी।

11. आयोग परीक्षा हेतु विहित प्रक्रिया अपनाएगा।

12. **आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा –**

आयोग रिक्तियों को भरने के लिए सफल उम्मीदवारों की मेधा के क्रमानुसार सूची तैयार करेगा और तैयार की गई सूची सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा के लिए उपलब्ध करा देगा।

13. **वरीयता** – इस नियमावली के अधीन इस सेवा में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किए गए, अभ्यर्थियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमांक के आधार पर होगी।

प्रोन्नति से भरे जानेवाले पदों में वरीयता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या–15784 दिनांक–26.08.1972 एवं संकल्प संख्या–213 दिनांक–07.06.2002 में विहित् प्रावधान के अनुरुप निर्धारित होगी तथा समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तें यथावत् लागू होंगे।

14. **परिवीक्षा अवधि –**

(i) किसी मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी को पदग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि तक परीवीक्षा पर रखा जायेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परीवीक्षा अवधि अगले एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि वर्द्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं हो, तो सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

(iii) परिवीक्षा अवधि के दौरान परीक्ष्यमान व्यक्ति को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना होगा जैसा कि विहित् किया जायेगा और परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम **अनुसूची–III** के परिशिष्ट के अनुसार होगा।

प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण–प्रारुपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही देय होगी।

विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही प्रोन्नति पाने के हकदार होंगे।

3591
24/10/14

15. **सम्पुष्टि –**

(i) परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा, बशर्त्ते, वह निर्धारित मापदंड को पूरा कर ले।

सम्पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना एवं जनजातीय परीक्षा, यथा– हो, मुण्डारी, संथाली, उरॉव (कुडुख) में से, कोई एक भाषा में परीक्षा उतीर्ण करना अनिवार्य होगा।

अध्याय–4

प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती

16. **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती –**

इस संवर्ग की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) से भिन्न पद सोपान के सभी पद प्रोन्नति देकर भरे जायेंगे । प्रोन्नति के प्रस्ताव में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

संवर्ग के अन्तर्गत प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड **अनुसूची–IV** में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगा।

अध्याय–5

वेतन

17. **वेतन**– संवर्ग की विभिन्न कोटियों के पदों के वेतनमान वही होंगे, जो राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करेगी।

अध्याय–6

सामान्य

18. **कार्यक्षेत्र संबंधी अनुबंध –**

(i) इस संवर्ग के सदस्य को झारखण्ड सहकारिता अधिनियम, 1935 एवं यथा संशोधित सहकारिता अधिनियम, 2011 तथा झारखण्ड राज्य स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबन्धित समितियों के अंकेक्षण कार्य हेतु झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर, किसी भी स्थान पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस संवर्ग के किसी भी सदस्य को किसी गैर–संवर्गीय पद पर भी, जो उसकी वरीयता के अनुरुप हो, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

19. **प्रशिक्षण –**

(i) इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिये राज्य में या राज्य से बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकनों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

(ii) प्राक्–सम्पुष्टि प्रशिक्षण के दो पक्ष होंगे–**सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण।** सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों की अवधि तीन–तीन माह की होगी।

3591
24/10/14

20. अन्य सेवा शर्त्ते –

इस संवर्ग के लिये अन्य सेवा शर्त्ते यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है या जो इस संवर्ग के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के सेवा संहिता एवं सम्बद्ध नियमों तथा असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 एवं बिहार तथा उड़ीसा अवर सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 तथा अन्य संहिताओं में तत्संबंधी किए गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

21. राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस नियमावली के प्रावधानों को विहित प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सके। सहकारिता विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरुप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो।

22. व्यावृत्ति –

वैसे पदाधिकारी जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व लागू परीक्षा में उचित स्तर से उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस नियमावली मे चिहित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु, जो ऐसी परीक्षा उचित स्तर से उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें इस नियमावली की विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

22.10.14

प्रधान सचिव

सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांकः–1/स्था0...(राज)..(अंके0).05/2009 सह...3591 **राँची, दिनांक** ...24/10/14

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशन के तुरन्त बाद इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को भेज दी जाय।

24/x/14

(बन्धना कुल्लू)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0...(राज)..(अंके0).05/2009 सह...3591 **राँची, दिनांक** ...24/10/14

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक/सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झास्कोलैम्फ/झाम्फकोफेड/वेजफेड, राँची/राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, राँची/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/x/14

(बन्धना कुल्लू)

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sumant Murmu\Notification\Corection copy Auditors Service Rule-13.doc

अनुसूची–1

निम्नांकित विवरणी में उल्लेखित पदनाम एवं प्रस्तावित वेतनमान के अनुसार ही सरकार वेतनमान का निर्धारण करेंगी। इस संवर्ग के पदों की संख्या व उसका सापेक्ष प्रतिशत निम्नवत् निर्धारित होगा।

क्र०	पदनाम	वेतनमान (रु० में)	पद बल संख्या एवं प्रतिशत
1.	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	9,300–34,800/– ग्रेड पे 4200	189 (55 प्रतिशत)
2.	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी एवं समकक्ष्	9,300–34800/– ग्रेड पे 4600	103 (30 प्रतिशत)
3.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं समकक्ष	9300–34800/– ग्रेड पे 5400	34 (10 प्रतिशत)
4.	उप–मुख्य अंकेक्षक	15,600–39,100/– ग्रेड पे 6,600	13 (3.7 प्रतिशत)
5.	संयुक्त निबन्धक (अंकेक्षण)	15,600–39,100/– ग्रेड पे 7,600	05 (1.3 प्रतिशत)

अनुसूची–II

आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष जानकारी

1. वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी की भर्त्ती हेतु आयोग द्वारा केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में अनिवार्य एंव वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। अनिवार्य विषयों में **सामान्य हिन्दी** (100 अंक) तथा **सामान्य ज्ञान** (100 अंक) की लिखित परीक्षा होगी।

   सामान्य हिन्दी में उत्तीर्ण (उत्तीर्णाक 30 अंक) होना अनिवार्य होगा तथा इसके अंक मेधांक में नहीं जोड़े जायगें।

   सामान्य ज्ञान एवं वैकल्पिक विषय के प्रत्येक खण्ड में प्राप्तांकों (अधिकतम 300 अंक) के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

2. वैकल्पिक विषयेां में **'क'** और **'ख'** दो खंड होंगे। प्रत्येक खंड से अधिकतम एक विषय ही चयन किये जा सकेंगे। प्रत्येक विषय 100 अंकों का होगा तथा प्रश्नों का स्वरुप वर्णनात्मक / दीर्घ उत्तरीय होगा।

3. **खण्ड–'क' (वैकल्पिक विषय) :– (100 अंक)**

   भारतीय इतिहास (1526 से 1950 ई० तक), भूगोल, अर्थशास्त्र एवं आधुनिक भारतीय आर्थिक विकास, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र (नीति शास्त्र) (इथिक्स एवं धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन सहित), मनोविज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र।

   खण्ड–'ख' (वैकल्पिक विषय) :– (100 अंक)

   लोक प्रशासन एवं भारतीय संविधान, विश्व इतिहास (1789 से 1947 ई० तक), भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाज शास्त्र (मानव विज्ञान सहित), वाणिज्य, सांख्यिकी, भारतीय विधि, भूगर्भ शास्त्र एवं श्रम तथा समाज कल्याण।

4. प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी मे दिए जा सकते हैं। भाषेत्तर विषयों के उत्तर उर्दू लिपि में दिया जा सकता है। अंशतः उत्तर हिन्दी में तथा अंशतः उत्तर अंग्रेजी में अमान्य होंगे। केवल तकनीकी शब्दों/वक्यांशों/उदधृत अंशों का विवरण चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी अथवा रुपान्तरण में दिया जा सकता है।

5. प्रत्येक विषयों की परीक्षा मात्र **तीन घंटों** की होगी।

6. पाठ्यक्रम –

(i) सामान्यतः प्रत्येक वैकल्पिक विषय के प्रश्न–पत्र झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यलयों के स्नातक (पास कोर्स) स्तर के होंगे।

(ii) **सामान्य हिन्दी** के प्रश्न–पत्र माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के स्तर के होंगे।

हिन्दी के प्रश्नों का स्वरुप निम्नवत् होगा :–

(a)	निबन्ध	–	30 अंक
(b)	वाक्य विन्यास	–	20 अंक
(c)	व्याकरण	–	30 अंक
(d)	पत्र लेखन	–	20 अंक

परिचित विषयों पर निबंध लेखन हेतु कहा जायेगा, जिससे उसकी कल्पना व निरुपण शक्ति का परीक्षण हो सकेगा। व्याकरण में प्रारंभिक स्तर के प्रश्न पूछे जायगें।

(iii) **सामान्य ज्ञान** – सामान्य विज्ञान एवं सामयिक घटनाओं के साथ इस पत्र में भारतीय संस्कृति, भूगोल, सामयिक घटनाओं एवं कम्प्यूटर संचालन ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जायगें।

7. इस प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान एवं प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कम से कम क्रमशः 45, 40 एवं 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. परीक्षा में सम्मिलित होने की बारम्बारता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/परिपत्र/संकल्प यथावत् लागू होंगे।

अनुसूची–III

विभागीय परीक्षा की पाठ्यसूची

(क) हिन्दी (देवनागरी लिपि में) की लिखित परीक्षा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा का पूर्णाक 100 एवं परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्र के प्रारुप का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ख) **वरीय अंकेक्षण पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा की पाठ्य सूची –**

1.	**Course Name**	Diploma in Cooperative Audit for the Newly Recruited Senior Auditors of Cooperative Department of Jharkhand State.	:- 8 Weeks
2.	**Duration**	**12** Weeks	
3.	**Intake Capacity**	As per heed	
4.	**Intersperse**	i. Class Room study	:- 1 Week
		ii. Observation visit to the near by Co-operativly Developd State	:- 1 Week
		iii. Attachment for Practical training at their joining place at Jharkhand	:- 1 Week
		iv. Classroom study.	:- 1 Week
		v. Examination	:- 1 Week
		Total	**:- 12 Weeks**
5.	**Curriculum**	**Name of the Subject**	**Sessions**
		1. Unit-I Accounting and Financial Management	:- 35
		2. Unit-II Managerial Accounting & H.R.M	:- 35
		3. Unit-III Principles & Practice of Audit	:- 45
		4. Unit-IV Cooperative and Business Laws	:- 35
		5. Unit-V Computer Application	:- 35
		Total	**:- 185**
6.	**Practical Training**	**Attachment with Different Institutions**	
		The Participants will be attached for Practical training at their posting place Jharkhand.	
		(a) District Audit Office	2 Days
		(b) Managing Director of Apex / District Level Institutions / Joint RCS Office / District Cooperative Office	2 Days
		(c) Co–Operative Banks	2 Days
		To Study audit Work of the institutions, necessary guidelines for this purpose will be prepared and provided to the participants	

7.	**Observation Study**	The Participants will also be taken for a study visit to the cooperatively developed state for observation studies of cooperative institutions and audit establishments of cooperatives.
8.	**Examination**	For the purpose of evaluation, following norms will be followed:-

	Unit	Marks
1.	Unit I- Accounting and Financial Managment	100
2.	Unit II- Managerial Accounting & HRM	100
3.	Unit III- Principles & Practice of Audit	150
4.	Unit IV- Cooperative and Business Laws	100
5.	Unit V- Computer Application	50
6.	Practical Training Report	50
7.	Observation study visit Report	50
	Total :-	**600**

9.	**Categorization**	70% and above : Distinction
		60% but below 70% : First Class
		50% but below 60% : Second Class
		45 % but below 50% : Third Class
		Less than 45 % : Failed

अनुसूची–IV

अंकेक्षण संवर्ग के. वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु अर्हत्ताएँ एवं मापदंडः–

1. **अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति :–**

अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु वैसे 30 प्रतिशत वरीय अंकेक्षक ही योग्य होंगे –

(क) जो वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर सम्पुष्ट हो चुके हैं।

(ख) जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके हों।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर कालावधि संबंधी निर्गत परिपत्र के मापदण्ड को पूरा करते हों।

(घ) जिनकी सेवा एवं कार्यकलाप संतोषप्रद हो।

2. **जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति –**

वैसे 10 प्रतिशत अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी ही जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे, जिन्होंने उक्त पद पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित कालावधि पूरी कर ली हो। संतोषप्रद सेवा तथा क्रियाकलाप वाले हीं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।

3. **उप–मुख्य अंकेक्षक के पद पर प्रोन्नति –**

वैसे 3.7 प्रतिशत जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ही उप मुख्य अंकेक्षक के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे, जिन्होंने उक्त पद पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित कालावधि पूर्ण कर ली हो। संतोषप्रद सेवा तथा क्रियाकलाप वाले ही उप मुख्य अंकेक्षक के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।

4. **संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) के पद पर प्रोन्नति –**

वैसे 1.3 प्रतिशत उप मुख्य अंकेक्षक ही संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे, जिन्होंने उप मुख्य अंकेक्षक के पद पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित कालावधि पूरी कर ली हो। संतोषप्रद सेवा एवं क्रियाकलाप वाले हीं संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) के पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।

नोट– उपर्युक्त सभी प्रोन्नति में वरीयता कोटि –क्रमाकं एवं आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

5. **प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया –**

सहकारिता अंकेक्षण संवर्ग में वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी से उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन उस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा। सहकारिता अंकेक्षण संवर्ग के अन्तर्गत् विभिन्न उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित सदस्य रहेंगे।

(क) संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण)

(1)	सदस्य, राजस्व पर्षद	–	अध्यक्ष
(2)	प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
(3)	प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	–	सदस्य
(4)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग	–	सदस्य
(5)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी	–	सदस्य
(6)	सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उप–सचिव/अवर सचिव	–	सदस्य

(ख) उप मुख्य अंकेक्षक के पदों पर प्रोन्नति हेतु समिति :–

(1)	सदस्य, राजस्व पर्षद	–	अध्यक्ष
(2)	प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
(3)	प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	–	सदस्य
(4)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग	–	सदस्य
(5)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी	–	सदस्य
(6)	सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उप–सचिव/अवर सचिव	–	सदस्य

(ग) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति हेतु समिति :–

(1)	सदस्य, राजस्व पर्षद	–	अध्यक्ष
(2)	प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
(3)	प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	–	सदस्य
(4)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग		
(5)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी	–	सदस्य
(6)	सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उप– सचिव/अवर सचिव	–	सदस्य

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर विभागीय प्रोन्नति समिति गठित किए जाने पर उपर्युक्त विभागीय प्रोन्नति समिति बदल जायगें।

(घ) अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति हेतु समिति :–

(1)	प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	–	अध्यक्ष
(2)	निबंधक, सहयोग समितियाँ		सदस्य
(3)	सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उप– सचिव/अवर सचिव	–	सदस्य
(4)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी	–	सदस्य
(5)	संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण)	–	सदस्य

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

-: अधिसूचना :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-3591 दिनांक-24.10.2014 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-6474 दिनांक-24.05.2017 एवं अधिसूचना संख्या-3850 दिनांक-10.08.2021 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के आलोक में अधिसूचित झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 संशोधन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैः-

1. **संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभः**

(i) यह नियमावली "झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021" कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की अध्याय-3 सीधी भर्त्ती नियम-8(ख) में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"आयोग द्वारा विज्ञापन निकाल कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस संवर्ग की मूल कोटि में भर्त्ती हेतु सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुसूची-II पर द्रष्टव्य है";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रावधानों अथवा समय समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों से संबंधित निर्गत होने वाले संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार झारखण्ड सहकारिता

423
05/04/2022

अंकेक्षक (भर्त्ती प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 में संदर्भित पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन किया जायेगा।

इस नियमावली के प्रावधानों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों के विरोधाभाषी/प्रतिकूल होने की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (Overriding effects) के साथ लागू होंगे।"

3. झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 के अध्याय-3 सीधी भर्त्ती 'नियम-8(ग) के रूप में निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:-

"इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत निर्धारित रहेगा :-

क0सं0	कोटि	न्यूनतम अर्हतांक
1.	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु0-I)	34 प्रतिशत
4.	पिछड़ा वर्ग (अनु0-II)	36.5 प्रतिशत
5.	आदिम जनजाति समूह	30 प्रतिशत
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(i) पत्र-1- भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधासूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

(ii) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) पत्र-3- तकनीकी/विशिष्ट विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iv) पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र-3- तकनीकी/विशिष्ट विषय में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम की कंडिका-8(ग) के आलोक में मेधासूची का निर्धारण किया जायेगा।"

4. झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-9(क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में निम्नांकित प्रावधान है:-

"वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी विषय के साथ) डिग्री होगी एवं प्रतियोगिता परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा सांख्यिकी में से किसी एक विषय का चयन करना आवश्यक होगा।";

423
05/04/2022

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी) डिग्री होना अनिवार्य होगा। वैकल्पिक विषय के रूप में वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा सांख्यिकी में से किसी एक विषय का चयन करना आवश्यक होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वी0 कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वी0 कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

5. विभागीय अधिसूचना संख्या-3591 दिनांक-24.10.2014 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की शेष प्रावधान/नियम यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-01/स्था0(नियमावली)-46/2021 सह0 423 **/राँची, दिनांक** 05/04/2022

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-01/स्था0(नियमावली)-46/2021 सह0 423 **/राँची, दिनांक** 05/04/2022

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0(नियमावली)–46/2021 सह0 423 **/राँची, दिनांक** 05/04/2022

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0(नियमावली)–46/2021 सह0 423 **/राँची, दिनांक** 05/04/2022

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण सहित), सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।